

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
बनाम

चावली पत्नी गोपाल जाति मेघवाल निवासी 23 जी.जी.

किसम मुकदमा:- रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956

PRO-458/2013

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिहास अनुसार

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हए

19.10.2022

पत्रावली पेश हुई। परोकार राज हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह रेफरेन्स तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अप्रार्थी चावली को आवंटित 9 जीएम के पत्थर न. 183/18 के किला न. 14 ता 16, 18, 19, 21 ता 23, 25 की 8.18 बीघा का आवंटन खारिज करवाने हेतु पेश किया गया है।

तहसीलदार (मू.अ.), श्रीविजयनगर के पत्रांक 1095 दिनांक 29.12.2017 के साथ ग्राम पंचायत गोनावाली पंचायत समिति श्रीविजयनगर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक 9 दिनांक 04.7.2015 की फोटोकॉपी का अवलोकन करने पाया कि अप्रार्थी चावली का देहान्त दिनांक 10.11.1997 को ही हो चुका है।

तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा हस्तगत रेफरेन्स दिनांक 10.06.2013 को मृतक के विरुद्ध पेश किया गया है। मृतक के विरुद्ध पेश किया रेफरेन्स कानूनन Nullity in law की श्रेणी में आता है। राजस्व (गुप-7) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (146) राज-7/2011 जयपुर, दिनांक 26.06.2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, बांध, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी है तथा जिनके Water flow से उक्त जलाशयों में पानी पहुंचता है, में किये गये भूमि आवंटन/खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु धारा 82 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम में रेफरेन्स कार्यवाही अमल में लायी जाये। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अप्रार्थी संख्या 01 को किये गये आवंटन के विरुद्ध पेश किया है जिसके साथ मात्र जमाबंदी संवत् 2068-71 की फोटोकॉपी पेश की है। जबकि किसी आदेश के विरुद्ध वाद पेश करते समय उक्त आदेश को प्रमाणित प्रति/मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की जानी चाहिए। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अधूरा पेश किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तगत रेफरेन्स तहसीलदार श्रीविजयनगर को इस आशय के साथ वापिस लौटाया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड का भली भांती अवलोकन कर राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति अनुसार अप्रार्थी के वारिसान की पूर्ण जांच कर सही पते सहित पुनः सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स पेश करें। आदेशिका की प्राप्ति तहसीलदार श्रीविजयनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निजवाई जाये। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

